भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2603**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बलात् श्रम के माध्यम से निर्मित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध

2603. **प्रो. सौगत राय:**

श्री किशोरी लाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बाल श्रम और बंधुआ श्रम सहित बलात् श्रम के माध्यम से पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पादित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए कोई नीति या कानूनी ढांचा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बलात् श्रम के माध्यम से उत्पादित होने के संदेह वाली वस्तुओं पर अन्य देशों द्वारा लगाए गए आयात प्रतिबंधों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का परीक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार का बलात् श्रम के माध्यम से निर्मित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आवश्यक निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए कानून लाने, सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने या नियम बनाने का विचार है; और

(घ) वैध व्यापारिक प्रथाओं को संरक्षण के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि भारत की आयात नीतियां संविधान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अभिसमयों और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अंतर्गत उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हों?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क (से) घ(: जी हाँ ,विदेश व्यापार विकास)एवं विनियमनअधिनियम (, 1992 की धारा 3 केन्द्र सरकार को विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान करने का अधिकार देती है, इसके तहत आयात को सुगम बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने, और विशेष तौर पर वस्तुओं के आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने, उसे सीमित करने या उसे विनियमित करने के प्रावधान किए जा सकते हैं। इन्ही अधिकारों का उपयोग करते हुए, सरकार ने दिनांक 13.07.2026 की अधिसूचना सं. 23/2026-27 के माध्यम से विदेश

व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 में पैरा 2.20ख शामिल किया है, जिसका उद्देश्य ऐसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाना है, जिनका उत्पादन पूरी तरह या आंशिक रूप से बलात् श्रम का इस्तेमाल करके किया गया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का भी परीक्षण किया है, जिसमें उन देशों द्वारा लगाए गए आयात प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्होंने बलात् श्रम से उत्पादित संदेह वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है।

बलात्"श्रमको ", आइएलओ बलात् श्रम सम्मेलन, 1930(संख्या 29) के अनुसार एफटीपी के पैरा 11. के तहत परिभाषित किया गया है। 64केंद्र सरकार, उचित जांच पूरी होने और इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन पूर्णतः या आंशिक रूप से बलात् श्रम का उपयोग करके किया गया है, इस प्रावधान के तहत कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर सकती है। बंधुआ श्रम का, बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम (उन्मूलन), और बाल श्रम 1976का, बाल और किशोर श्रम)प्रतिषेध और विनियमनअधिनियम (, के तहत 1986समाधान किया जाता है।

सरकार ने, सार्वजनिक सूचना संख्या 21/2026-27 दिनांक 13.07.2026 के माध्यम से, प्रक्रिया-पुस्तिका, 2023 में पैरा 2.50क भी शमिल किया है। इसमें यह तय करने की प्रक्रिया बताई गई है कि क्या आयातित वस्तुओं का उत्पादन बलात् श्रम करवाकर किया गया था।

ये उपाय ऐसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी और नीतिगत ढ़ाँचा प्रदान करते हैं, जिनका उत्पादन पूरी तरह या आंशिक रूप से बलात् श्रम का उपयोग करके किया गया है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की आयात नीति, भारत के संविधान, संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुरूप रहे, साथ ही वैध व्यापार का संरक्षण भी किया जाए।
